कार्यालय, नगर पालिका परिषद मंझनपुर, जनपद कौशाम्बी।

संख्या 1829 /न0पा0परि0मं0/निविदा सूचना/2023 दिनांक 01/ नवम्बर, 2023

निविदा सूचना

स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर विभाग/राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के अन्तर्गत आने वाले सभी शासकीय विभागों में पंजीकृत ठेकेदार/फर्मो को सूचित किया जाता है कि शासन द्वारा स्वीकृत सीवरेज एवं जल निकासी व्यवस्था योजना अन्तर्गत नाला निर्माण में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष निम्न निर्माण हेतु निविदा दिनांक 18.11.2023 अपरान्ह 02:00 बजे तक न.पा.परि. मंझनपर कार्यालय में आमंत्रित की जाती है। उपरोक्त निविदा सील बन्द लिफाफे में कार्यालय में रखे निविदा बाक्स में डाली जायेगी। प्राप्त निविदा लिफाफा को दिनांक 18.11.2023 अपरान्ह 03.00 बजे कार्यालय में उपस्थित निविदादातोओं/निविदा कमेटी के समक्ष खोला जायेगा, निविदा में सम्मिलित कार्यो का विस्तृत विवरण निम्नवत् है –

क्र. सं.	निर्माण कार्य का नाम	अनुमानित लागत (जी.एस.टी. रहित) (रू0 में)	बिड सिक्योरिटी (ई.एम.डी. 10%) (रू0 में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6
1	वार्ड नं0 1 अम्बेडकर नगर मजरा गाधी नगर में श्रीपाल के घर से राम रूप के घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	450723.00	45072.00	532.00	2 माह
2	वार्ड नं0 2 डा0 ए0पी0जे0 अब्दुल कलाम नगर मजरा हजरतगंज में रमेश के घर से छेदी लाल के घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	297487.00	29749.00	351.00	2 माह
3	वार्ड नं0 10 अशोक नगर मजरा नया पुरवा में गुलाम के घर से शंकर के घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	621056.00	62106.00	733.00	2 माह
4	वार्ड नं0 10 अशोक नगर मजरा नया पुरवा में काली माता मंदिर से तालाब तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	673218.00	67322.00	794.00	2 माह
5	वार्ड नं0 11 भगत सिंह नगर मजरा बबुरा में अमरनाथ के घर से ब्रम्ह बाब तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	673218.00	67322.00	794.00	2 माह
6	वार्ड नं0 13 अटल बिहारी वाजपेयी नगर मजरा समदा पसिया बस्ती में समदा ओसा मेन रोड पर इबने हसन के घर से निराले के घर तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य।	592227.00	59223.00	699.00	2 माह
7	वार्ड नं0 14 वत्स नगर मजरा कोरों में विनिता मिश्रा के घर से गोल्कई के घर तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य।	775911.00	77591.00	916.00	2 माह
8	वार्ड नं0 18 संत गाडगे नगर मजरा कोरई में मुन्नी लाल के घर से रावेन्द्र मौर्या के घर तक आर.सी.सी. नाला निर्माण कार्य।	334673.00	33467.00	395.00	2 माह
9	वार्ड न0 24 संत कबीर नगर मजरा गडेरियन का डेरा में राम प्रकाश पाल के घर से उर्मिला के घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	676915.00	67692.00	799.00	2 माह
10	वार्ड नं0 25 संत रविदास नगर मजरा डूडी बाग में नथन के घर से काली माता मंदिर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	609085.00	60909.00	719.00	2 माह
11	वार्ड नं0 25 संत रविदास नगर मजरा कोंडर में कमलेश के दुकान से राम सरोज के घर तक आर.सी.सी. नाली निर्माण कार्य।	677818.00	67782.00	800.00	2 माह

नियम/शर्तेः–

1. निविदा प्रपत्र के साथ किसी भी शासकीय विभाग में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र के मूल प्रति के साथ ही ठेकेदार/फर्म के द्वारा अपना अद्यतन वैध चरित्र प्रमाण पत्र (T-4), हैसियत प्रमाण पत्र (T-5), निर्धारित मूल्य (रू0 100) के एकल न्यायिक स्टॉम्प पेपर पर कार्य के नाम के स्पष्ट उल्लेख के साथ घोषणा पत्र (T-6), GST रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, श्रम विभाग में पंजीकृत होने के प्रमाण पत्र, निर्धारित मूल्य (रू0 10) के एकल गैर–न्यायिक स्टॉम्प पर निविदादाता का न तो कोई अपराधिक रिकार्ड है और न ही किसी गैर सरकारी संस्था में पंजिकृत है एवं विभागीय समस्या न होने की स्थिति में स्वीकृत निर्माण कार्य के अनुबन्ध में दिये गये कार्य अवधि के अन्दर कार्य समाप्त करना होगा, अन्यथा की दशा में निर्धारित अवधि समाप्त होने के पश्चात् रूपया पांच सौ प्रतिदिन की दर से विलम्ब शुल्क वसूल किया जायेगा अथवा सम्बन्धित कार्य के बिल से विलम्ब शुल्क समायोजित करते हुए कटौती की जायेगी, विषयक शपथ पत्र की मूल प्रति स्पष्ट रूप से पठनीय हो, सील बन्द लिफाफे में कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवाय।
2. निविदा शुल्क की धनराशि कार्यालय नगर पालिका परिषद मंझनपुर में नकद जमा कर जमा पर्ची निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना अनिर्वाय होगा, तभी निविदामान्य होगी।
3. निविदा प्रपत्र के साथ 10% जमानत धनराशि का FDR जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी के पदनाम से बन्धक हो, को मूल रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, अंयथा सम्बन्धित कार्य की तकनीकी निविदा पर विचार नही किया जायेगा। यह भी किसी भी कार्य की निविदा के साथ संलग्न जमानत धनराशि की FDR की प्रति मात्र एक कार्य की निविदा में ही मान्य होगी अर्थात जमानत धनराशि के FDR में उल्लिखित धनराशि अधिक होने पर भी उपरोक्त जमानत धनराशि का FDR किसी अन्य कार्य की निविदा में मान्य नही होगी। अन्यथा की स्थिति में निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय निदेशालय के शासनादेश संख्या 496/कम्प्यू0सेल/2017–18 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी, 2019 के अनुरूप निविदादाता के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जायेगी एवं पंजीयन निरस्त कर काली सूची में डाले जाने की कार्यवाही की जायेगी।
4. निविदा में सम्मिलित प्रत्येक कार्य का जमानत धनराशि की FDR पृथक–पृथक जमा करना अनिवार्य होगा।
5. निविदा में किसी प्रकार की त्रुटि तथा सशर्त निविदामान्य नहीं होगी एवं अपूर्ण पाये जाने पर आशिंक रूप से या सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने अथवा संशोधन करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित होगा।
6. उपरोक्त निविदा में सम्मिलित निर्माण कार्यो में निदेशक महोदया, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ के द्वारा निर्गत निर्देश पत्र संख्या टी.सी./314/8/डी.एल.बी./2020 दिनांक 01.01.2021 में निर्माण कार्यो हेतु उल्लिखित दिशा निर्देशो तथा अपर मुख्य सचिव महोदय, नगर विकास विभाग अनुभाग–9 उ0प्र0 शासन के द्वारा नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में निर्माण/विकाय कार्यो हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) विषयक निर्गत शासनादेश संख्या 1319/नौ–9–21–45ज/21 नगर विकास विभाग, अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2021 में वर्णित समस्त निर्देशो के साथ ही भिन्न–भिन्न समय में उच्चाधिकारियो के द्वारा निर्गत किये गये तथा भविष्य में निर्गत होने वाले समस्त दिशा निर्देशो का अनुपलन करना होगा।
7. निविदा में सम्मिलित निर्माण कार्यो हेतु जमा की गयी जमानत धनराशि को अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा निर्गत एस.ओ.पी. दिनांक 30 जून, 2021 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार एक वर्ष तक कार्य संतोपजनक विषयक अभियंत्रण विभाग की आख्या के अनुसार अवमुक्त किया जायेगा।
8. शासनादेश संख्या–11593/नौ–5–2021–142सा/2021 नगर विकास अनुभाग–5, लखनऊ दिनांक 07.01.2022 के अनुसार अनुबंध गठन के समय 10 प्रतिशत बिलो (Below) दर तक 03.00 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलो (Below) दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 0.50 प्रतिशत कम पर सिक्योरिटी/परफार्मेस गारण्टी का अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद मंझनपुर, कौशाम्बी के पदनाम से बंधक युक्त FDR निविदा स्वीकृत पत्र निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर नियमानुसार अनुबन्ध का गठन कराना अनिवार्य होगा।
9. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् नियमानुसार निर्धारित प्रारूप पर स्टाम्प पेपर पर स्वयं के व्यय पर ठेकेदार को अनुबन्ध कराना होगा।
10. प्रत्येक स्वीकृत निर्माण कार्य के अनुबन्ध से पूर्व ठेकेदार को श्रम विभाग में अधिष्ठान पंजीयन एंव निर्माण श्रमिक पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।
11. स्वीकृत कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान एंव कार्य पूर्ण होने के बाद की कलर फोटो कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
12. निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच/सत्यापन हो जाने के उपरान्त ही नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। यदि कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पायी जायेगी तो सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा जमा जमानत धनराशि जब्त करते हुए अन्य कोई विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
13. निविदा आमंत्रणकर्ता को आईटीबी के क्लॉज–9 के अनुसार परिशिष्ट/शुद्धि पत्र जारी करने का अधिकार है जो किसी भी समाचार पत्र मे प्रकाशित नही किया जायेगा। अधिक जानकारी के लिए नगर पालिका परिषद, मंझनपुर के कार्यालय से सम्पर्क कर किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।
14. उपरोक्त निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित होगा तथा समस्त विवाद का न्यायिक क्षेत्र जनपद कौशाम्बी होगा।

(ओमकार पटेल)
अवर अभियन्ता (सिविल)
न0पा0परि0 मंझनपुर कौशाम्बी

(अनूप राय)
अधिशासी अधिकारी
न0पा0परि0 मंझनपुर कौशाम्बी

(वीरेन्द्र कुमार)
अध्यक्ष
न0पा0परि0 मंझनपुर कौशाम्बी

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, कौशाम्बी को अवलोकनार्थ।
2. विज्ञापन प्रबन्धक, दैनिक समाचार पत्र स्पष्ट आवाज एवं भारत कनेक्ट को इस अनुरोध के साथ कि उपरोक्त विज्ञप्ति अपने समाचार पत्र के आगामी अंक में लघु अक्षरो में प्रकाशित करके उसकी दो प्रतिया इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जिससे प्रकरण में आग्रिम कार्यवाही की जा सकें।
3. नगर पालिका परिषद मंझनपुर की वेब साइड www.nppmanjhanpur.in पर अपलोड किये जाने हेतु।
4. कार्यालय नगर पालिका परिषद मंझनपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराने हेतु।

(अनूप राय)
अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद
मंझनपुर–कौशाम्बी